भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2213
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गुजरात में ई-संजीवनी टेली-परामर्श

†2213. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेलः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-25 में गुजरात में किए गए ई-संजीवनी टेली-परामर्शों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या गुजरात में ग्रामीण और जनजातीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन में सहायतार्थ पर्याप्त डिजिटल अवसंरचना मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानीय भाषा संबंधी सहायता और एआई-आधारित ट्राइएज शुरू करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): वर्ष 2024-25 (दिनांक 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) में पूरे गुजरात राज्य में किए गए ई-संजीवनी टेली-परामर्शों की कुल संख्या 24,11,371 है। वर्तमान में, गुजरात में ई-संजीवनी के अंतर्गत 1,737 परिचालन केंद्रों और 9,135 स्पोक्स के माध्यम से टेली-परामर्श प्रदान किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत और राज्य सरकार की पहल से, गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को टेलीमेडिसिन सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप/डेस्कटॉप, ई-संजीवनी एप्लिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी डिजिटल बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा, ई-संजीवनी, अपनी वेब प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ अंग्रेज़ी के अलावा 12 भारतीय भाषाओं में भी प्रदान करती है। यह मोबाइल एप्लिकेशन अंग्रेज़ी के साथ-साथ 9 भारतीय भाषाओं को भी सपोर्ट करता है, जिससे भारत की विविध भाषाई आबादी के बीच बेहतर पहुँच और व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, ई-संजीवनी प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत, रोगियों की स्थिति के निदान में डॉक्टरों की सहायता के लिए एक एआई-सक्षम नैदानिक निर्णय सपोर्ट प्रणाली (सीडीएसएस) शुरू की गई है।

******